



# उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

(A U.P. Government Undertaking)

CIN : U 4 0 1 0 1 U P 1 9 8 0 S G C 0 0 5 0 6 5

पत्र सं०: 2199-मा०सं०-03/उनिलि/2020-5(20) मा०सं०-03/2006

दिनांक: 18/12/2020

## "कार्यालय ज्ञाप"

निगम के आदेश संख्या: 2701-मा०सं०-03/उनिलि/2014, दिनांक: 28.10.2014, 253-मा०सं०-03/उनिलि/2015, दिनांक: 23.01.2015 एवं 2700-मा०सं०-03/उनिलि/2014, दिनांक: 28.10.2014 द्वारा प्रोन्नति/सीधी भर्ती से नियुक्त अवर अभियन्ता (वै० एवं या०/जानपद) की ज्येष्ठता सूची अनन्तिम रूप से निगमादेश संख्या: 1532/ मा०सं०-03/ उनिलि/2020, दिनांक: 17.09.2020 एवं सं० 1671/ मा०सं०-03/ उनिलि/2020, दिनांक: 03.10.2020 द्वारा घोषित करते हुये निर्गमन तिथि 30 दिनों के अन्दर तक आमंत्रित आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में कतिपय अवर अभियन्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण एतद्वारा निम्नवत् है:-

क्र० सं०	नाम (सर्वश्री)	मुख्य/समान प्रकार की आपत्तियों का संकलित संक्षिप्त विवरण	निस्तारण टिप्पणी
1.	मुनीष बाबू अवर अभियन्ता (जानपद) पारीछा	1.अवगत कराया है कि नियुक्ति पत्र में वर्णित ज्येष्ठता सूची के सन्दर्भ में दिये गये निर्देशों के अनुसार मूल प्रयोगात्मक परीक्षा एवं प्रशिक्षण के दौरान ली गयी परीक्षाओं के प्राप्तांकों की जानकारी प्रार्थी को निगम द्वारा अथवा प्रशिक्षण अवधि की परीक्षाओं के प्राप्तांक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उद्घोषित कर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः प्रार्थी प्राप्तांकों के आधार पर वरिष्ठता सूची में स्वांकन कर अपना स्थान निर्धारित करने में असमर्थ है, जिसके दृष्टिगत प्रयोगात्मक परीक्षा एवं प्रशिक्षण के दौरान ली गयी परीक्षा के प्राप्तांकों का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। 2. अवगत कराया है कि प्रयोगात्मक लिखित परीक्षा के परिणाम में जानपद संवर्ग के कट ऑफ से अंक काफी अधिक होने के बावजूद वरिष्ठता सूची में प्रार्थी का स्थान अपेक्षित आंकलन से अधिक नीचे है। प्रतियोगात्मक परीक्षा एवं प्रशिक्षण के दौरान ली गयी परीक्षाओं के प्राप्तांक उपलब्ध न होने के कारण परस्पर मूल्यांकन करने में समर्थ नहीं है। अतः प्रतियोगात्मक परीक्षा एवं प्रशिक्षण के दौरान ली गयी परीक्षाओं को सार्वजनिक रूप से घोषित कराने का अनुरोध किया है।	निगम में अवर अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उनके चयन परीक्षा के प्राप्तांक एवं प्रशिक्षण के प्राप्तांकों का सामान्यीकरण के पश्चात् प्राप्त अंकों के आधार पर वरिष्ठता नियमावली- 1998 के संशोधन आदेश सं० 08-उनिलि/रिफॉर्म/रेगुलेशन/2010 दि० 07.01.2010 के प्राविधानान्तर्गत की जाती है। इस नियम का पालन करते हुए अनन्तिम वरिष्ठता सूची में दि० 17.09.2020 में व्यवस्थित किया गया है। अतः प्रतिवेदक का अनुरोध स्वीकार्य योग्य नहीं है।
2.	गौतम कुमार, अवर अभि० (वि० एवं या०) पारीछा	1. अवगत कराया है कि पत्र सं० 1531-मा०सं०-03/उनिलि/2020 दिनांक 17.09.2020 द्वारा जारी वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में सूचित किया है कि प्राप्तांकों की जानकारी प्रार्थी को निगम द्वारा प्रशिक्षण अवधि की परीक्षाओं के प्राप्तांक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उद्घोषित कर उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः प्रार्थी को प्रयोगात्मक परीक्षा एवं प्रशिक्षण के दौरान ली गयी परीक्षा के प्राप्तांकों का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। 2. अवगत कराया है कि प्रार्थी प्रयोगात्मक लिखित परीक्षा के परिणाम में विद्युत संवर्ग कट ऑफ अंक यॉत्रिक संवर्ग के कट ऑफ अंक से काफी अधिक होने के बावजूद वरिष्ठता सूची में स्थान अपेक्षित आंकलन से काफी नीचे है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रयोगात्मक परीक्षा एवं प्रशिक्षण के दौरान ली गयी परीक्षाओं के प्राप्तांक सार्वजनिक रूप से घोषित कराने का अनुरोध किया है।	कार्यालय ज्ञाप सं० 1531-मा०सं०-03/उनिलि/2020 दिनांक 17.09.2020 को निगमादेश सं० 1671-मा०सं०-03/उनिलि/2020 दि० 03.10.2020 निरस्त किया जा चुका है। निगम में अवर अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उनके चयन परीक्षा के प्राप्तांक एवं प्रशिक्षण के प्राप्तांकों का सामान्यीकरण के पश्चात् प्राप्त अंकों के आधार पर वरिष्ठता नियमावली-1998 के संशोधन आदेश सं० 08-उनिलि/रिफॉर्म/रेगुलेशन/2010 दिनांक 07.01.2010 के प्राविधानान्तर्गत की जाती है। इस नियम का पालन करते हुए अनन्तिम वरिष्ठता सूची में दिनांक 03.10.2020 में क्रम सं० 75 पर व्यवस्थित किया गया है। अतः प्रतिवेदक का अनुरोध स्वीकार्य योग्य नहीं है।

श्रीप्रकाश, अवर अभि० (वि० एवं यॉ०) पारीछा	घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची में कम सं० 75 पर अंकित प्रार्थी के पिता का नाम ओंकार नाथ लिखा हुआ है जबकि सही नाम ओमकारनाथ है।	कार्यालय ज्ञाप सं० 1531-मा०सं०-03 /उनि०लि/2020 दिनांक 17.09.2020 को निगमादेश सं० 1671-मा०सं०-03/उनि०लि/2020 दिनांक 03.10.2020 निरस्त किया जा चुका है। उक्त निगमादेश में कम सं० 144 पर अंकित है। अतः संज्ञान में लिया गया है कि अंतिम वरिष्ठता सूची में पिता नाम संशोधित दिया जायेगा।
3. शुभमकलवार अवर अभि० (वि० एवं यॉ०) ओबरा	निगमादेश सं० 1671-मा०सं०-03/उनि०लि /2020 दि० 03.10.2020 द्वारा घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में संज्ञानित कराया है कि विज्ञापन सं० यू-12/यूपीआरवी एसए/2013 के विरुद्ध अवर अभियन्ता के पद पर चयन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया जैसे लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं प्रशिक्षण के दौरान कुल प्राप्तांकों को जोड़ा जाये तो कुल प्राप्तांक प्रार्थी के बैच-2013 के अन्य चयनित अवर अभियन्ताओं के कुल प्राप्तांक से अधिक होगा। यदि ऐसा नहीं है तो कृपया प्रार्थी के बैच-2013 में चयनित समस्त अवर अभियन्ताओं के समस्त अवर अभियन्ताओं द्वारा लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं प्रशिक्षण के दौरान कुल प्राप्तांकों का विवरण उपलब्ध कराया जाये, जिससे निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं० 1671-मा०सं०-03/उनि०लि/2020 दि० 03.10.2020 वरिष्ठता सूची से सन्तुष्ट हो सके।	निगम में अवर अभियन्ताओं के वरिष्ठता निर्धारण हेतु उनके चयन परीक्षा एवं प्रशिक्षण के प्राप्तांकों का सामान्यीकरण के पश्चात् प्राप्त अंक को आधार माना जाता है, न कि सीधी भर्ती के चयन को। उक्तानुसार अनन्तिम वरिष्ठता सूची में प्रतिवेदक का क्रमांक सही है। अतएव इनका अनुरोध स्वीकार्य योग्य नहीं है।
4. राहुल, अवर अभि० (जानपद) हरदुआगांज	अवगत कराया है कि एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 29.12.2015 को आयोजित Final Absorption Test मुख्यालय के पत्र सं० 27-उनि०लि/ प्रशिक्षण/अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)/2015 दिनांक 02.02.2016 द्वारा उत्तीर्ण किया गया है, जिसमें प्रार्थी का नाम जानपद संवर्ग में सूची में कम सं० 07 पर अंकित है। अतः कार्यालय ज्ञाप सं० 1532-मा०सं०-03/ उनि०लि/2020 दिनांक 17.09.2020 के अन्तर्गत घोषित अवर अभियन्ता(जानपद) की वरिष्ठता सूची में प्रार्थी का नाम अंकित नहीं है। प्रार्थी का नाम अंकित किया जाये ताकि अन्तिम वरिष्ठता सूची में नाम अंकित हो सके।	संज्ञान में लिया गया है अन्तिम वरिष्ठता सूची में नाम सम्मिलित कर लिया जायेगा।
5. त्रिलोकी चन्द्र गुप्ता, अवर अभियन्ता (वि० एवं यॉ०) पारीछा	कार्यालय ज्ञाप सं० 1532-मा०सं०-03/ उनि०लि/ 2020 दिनांक 17.09.2020 द्वारा जारी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में कम सं० 99 पर अंकित नाम श्री त्रिलोकी चन्द्र गुप्ता एवं पिता का नाम मांगीलाल गुप्ता त्रुटिपूर्ण है, जिसको सही कर त्रिलोक चन्द्र गुप्ता एवं पिता का नाम मंगीलाल गुप्ता कर दिया जाये।	कार्यालय ज्ञाप सं० 1531-मा०सं०-03/ उनि०लि/2020 दि० 17.09.2020 को निगमादेश सं० 1671-मा०सं०-03/उनि०लि/2020 दिनांक 03.10.2020 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उक्त निगमादेश में कम सं० 123 पर अंकित है। अतः संज्ञान में लिया गया है कि अन्तिम वरिष्ठता सूची में संशोधित कर दी जायेगी।
हेमेश कुमार राजपूत, अवर अभियन्ता (वि० एवं यॉ०) पारीछा	1. कार्यालय ज्ञाप सं० 1531-मा०सं०-03/उनि०लि/2020 दि० 17.09.2020 द्वारा जारी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में जन्मतिथि 05.08.1995 गलत अंकित की गयी है, जो कि सही अंकित करने पर 15.08.1991 होनी चाहिये। 2. अवगत कराया है कि प्राप्तांकों की जानकारी निगम द्वारा अथवा प्रशिक्षण अवधि की परीक्षाओं के प्राप्तांक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उद्घोषित कर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जबकि प्राप्तांकों के आधार पर वरिष्ठता सूची में स्वीकृत कर अपना स्थान निर्धारित करने में असमर्थ है। अतः प्रार्थी को प्रयोगात्मक परीक्षा एवं प्रशिक्षण के दौरान ली गयी परीक्षा के प्राप्तांकों का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।	1. कार्यालय ज्ञाप सं० 1531-मा०सं०-03/ उनि०लि/2020 दि० 17.09.2020 को निगमादेश सं० 1671-मा०सं०-03/उनि०लि/2020 दि० 03.10.2020 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उक्त निगमादेश में कम सं० 131 पर अंकित है। अतः संज्ञान में लिया गया है कि अन्तिम वरिष्ठता सूची में संशोधित कर दी जायेगी। 2. एवं 3. निगम में अवर अभियन्ताओं की

	<p>3. अवगत कराया है कि प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा के परिणाम में विद्युत संवर्ग में कट ऑफ अंक यॉत्रिक संवर्ग के कट ऑफ अंक काफी अधिक होने के बावजूद वरिष्ठता सूची में प्रार्थी का स्थान अपेक्षित आकलन से अधिक नीचे है। अतः उपरोक्त प्रयोगात्मक परीक्षा एवं प्रशिक्षण के दौरान ली गयी परीक्षाओं का प्राप्तांक सार्वजनिक रूप से घोषित कराने का अनुरोध किया है।</p>	<p>पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उनके चयन परीक्षा के प्राप्तांक एवं प्रशिक्षण के प्राप्तांकों का सामान्यीकरण के पश्चात् प्राप्त अंकों के आधार पर वरिष्ठता नियमावली-1998 के संशोधन आदेश सं008-उनिलि/रिफॉर्म/रेगुलेशन/2010 दिनांक 07.01.2010 के प्राविधाना न्तर्गत की जाती है। इस नियम का पालन करते हुए अनन्तिम वरिष्ठता सूची में दिनांक 03.10.2020 में कम सं0 131पर व्यवस्थित किया गया है। अतः प्रतिवेदक का अनुरोध स्वीकार्य योग्य नहीं है।</p>
<p>रूपेश कुमार, अवर अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) पारीछा</p>	<p>1. अवगत कराया है कि प्राप्तांकों की जानकारी निगम द्वारा अथवा प्रशिक्षण अवधि की परीक्षाओं के प्राप्तांक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उद्घोषित कर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जबकि प्राप्तांकों के आधार पर वरिष्ठता सूची में स्वांकन कर अपना स्थान निर्धारित करने में असमर्थ है। अतः प्रार्थी को प्रयोगात्मक परीक्षा एवं प्रशिक्षण के दौरान ली गयी परीक्षा के प्राप्तांकों का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। 2. अवगत कराया है कि प्रयोगात्मक लिखित परीक्षा के परिणाम में विद्युत संवर्ग में कट ऑफ अंक यॉत्रिक संवर्ग के कट ऑफ अंक काफी अधिक होने के बावजूद वरिष्ठता सूची में प्रार्थी का स्थान अपेक्षित आकलन से अधिक नीचे है। अतः उपरोक्त प्रयोगात्मक परीक्षा एवं प्रशिक्षण के दौरान ली गयी परीक्षाओं का प्राप्तांक सार्वजनिक रूप से घोषित कराने का अनुरोध किया है।</p>	<p>1. एव 2. कार्यालय ज्ञाप सं0 1531-मा0सं0-03/उनिलि/2020 दिनांक 17.09.2020 को निगमादेश सं0 1671-मा0सं0- 03/उनिलि/2020 दिनांक 03.10.2020 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उक्त निगमादेश में क्रम सं0 85 पर अंकित है। निगम में अवर अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उनके चयन परीक्षा के प्राप्तांक एवं प्रशिक्षण के प्राप्तांकों का सामान्यीकरण के पश्चात् प्राप्त अंकों के आधार पर वरिष्ठता नियमावली-1998 के संशोधन आदेश सं0 08-उनिलि/ रिफॉर्म/ रेगुलेशन/2010 दि0 07.01.2010 के प्राविधानान्तर्गत की जाती है। इस नियम का पालन करते हुए अनन्तिम वरिष्ठता सूची में दिनांक 03.10.2020 में क्रम सं0 85 पर व्यवस्थित किया गया है। अतः प्रतिवेदक का अनुरोध स्वीकार्य योग्य नहीं है।</p>
<p>6. राजेश्वर प्रसाद चौरसिया, अवर अभि0 (वि0एवं यॉ0) अनपरा</p>	<p>अवगत कराया है कि कार्यालय ज्ञाप सं0 1671-मा0सं0-03/उनिलि/2020दिनांक03.10.2020 द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अवर अभियन्ता, 2014-बैच की अनन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गयी है, जिसमें प्रार्थी को प्रतीत हो रहा है कि वरिष्ठता प्रभावित हो रही है। जिसका प्रमुख कारण मानवीय भूल हो सकती है, उपरोक्त वरिष्ठता सूची किस आधार पर बनायी गयी है तथा कौन-कौन से प्राप्तांक वरिष्ठता निर्धारण हेतु लिये गये हैं। इसका विवरण बिना जारी किये वरिष्ठता सूची जारी करने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इनकी वरिष्ठता प्रभावित होने का कारण पता चल सके। उपरोक्त प्रक्रिया को पारदर्शी किया जाना अति आवश्यक है।</p>	<p>कार्यालय ज्ञाप सं0 1671-मा0सं0-03/उनिलि/2020 दि0 03.10.2020 उक्त निगमादेश में क्रम सं0 180 पर अंकित है। निगम में अवर अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उनके चयन परीक्षा के प्राप्तांक एवं प्रशिक्षण के प्राप्तांकों का सामान्यीकरण के पश्चात् प्राप्त अंकों के आधार पर वरिष्ठता नियमावली-1998 के संशोधन आदेश सं0 08-उनिलि/ रिफॉर्म/</p>

		रेगुलेशन/2010 दि० 07.01.2010 के प्राविधानान्तर्गत की जाती है। इस नियम का पालन करते हुए अनन्तिम वरिष्ठता सूची में दिनांक 03.10.2020 में कम सं० 180 पर व्यवस्थित किया गया है। अतः प्रतिवेदक का अनुरोध स्वीकार्य योग्य नहीं है।
ज्ञानेन्द्रकुमार पटेल, अवर अभि० (वि० एवं या०) अनपरा	अवगत कराया है कि कार्यालय ज्ञाप सं० 1671-मा०सं०-03/उनिलि/2020 दिनांक 03.10.2020 द्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के अवर अभियन्ता, 2014-बैंच की अनन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गयी है, जिसमें प्रार्थी को प्रतीत हो रहा है कि वरिष्ठता प्रभावित हो रही है। जिसका प्रमुख कारण मानवीय भूल हो सकती है, उपरोक्त वरिष्ठता सूची किस आधार पर बनायी गयी है तथा कौन-कौन से प्राप्तांक वरिष्ठता निर्धारण हेतु लिये गये हैं। इसका विवरण बिना जारी किये वरिष्ठता सूची जारी करने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इनकी वरिष्ठता प्रभावित होने का कारण पता चल सके। उपरोक्त प्रक्रिया को पारदर्शी किया जाना अति आवश्यक है।	कार्यालय ज्ञाप सं० 1671-मा०सं०-03/उनिलि/2020 दिनांक 03.10.2020 उक्त निगमादेश में कम सं० 200 पर अंकित है। निगम में अवर अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उनके चयन परीक्षा के प्राप्तांक एवं प्रशिक्षण के प्राप्तांकों का सामान्यीकरण के पश्चात् प्राप्त अंकों के आधार पर वरिष्ठता नियमावली-1998 के संशोधन आदेश सं० 08-उनिलि/ रिफॉर्म/ रेगुलेशन/2010 दि० 07.01.2010 के प्राविधानान्तर्गत की जाती है। इस नियम का पालन करते हुए अनन्तिम वरिष्ठता सूची में दिनांक 03.10.2020 में कम सं० 200 पर व्यवस्थित किया गया है। अतः प्रतिवेदक का अनुरोध स्वीकार्य योग्य नहीं है।

सूचनीय है, घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची पर सम्बन्धित कार्मिकों से, दिनांक: 20.09.2013 तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी थी। निगम के पत्र संख्या: 1532/मा०सं०-03/उनिलि/2020-5(20) मा०सं०-03/2006, दिनांक: 17.09.2020 एवं दिनांक पत्र सं० 1671/मा०सं०-03/उनिलि/2020, दिनांक 03.10.2020 द्वारा निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता सूची के विरुद्ध निर्गमन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर तक प्राप्त प्रत्यावेदनों को उपरोक्तानुसार निस्तारित/अस्वीकृत किया जाता है।

**निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)**

**पत्र सं०:2199-मा०सं०-03/उनिलि०/2020 तददिनांक :-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर) को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता (वि० एवं या०) को इस आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियन्ता, जवाहरपुर तापीय परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, जवाहरपुर, मलावन(एटा) को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता (वि० एवं या०) को इस आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य अभियन्ता (मानव संसाधन) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, (पीपीएमएम)/(तापीय परिचालन) उ०प्र० राविउनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, (पर्यावरण एवं सुरक्षा)(नव-जानपद)/(आर० एण्ड एम०)/(ईंधन)/(वाणिज्य),उनिलि, शक्ति भवन लखनऊ।

6. सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, (01/02/04/05/06) उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता (प्रगति) उ०नि०लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची यथाशीघ्र उ०नि०लि० की वेब साइट पर अपलोड करवा दें।
9. अधिशासी अभियन्ता, रिफार्म/डाटा बेस उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
10. कट फाईल।

आज्ञा से,

~~17/12/2020~~

( कौशलेन्द्र कुमार )

अधिशासी अभियन्ता (मा०सं०-०३)